न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –04/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण) दायर दिनांक 13.03.2018

GCMS No. 2018/00055

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

विजेन्द्र सिंह यादव आत्मज मनफूल सिंह जाति अहीर निवासी 189 गत्ता फैक्ट्री के पास कोटा, हाल कीचला तहसील बुलन्द शहर उत्तर प्रदेश

मृतक जर्ये का0मु0–

1. जोगेन्द्र सिंह आत्मज विजेन्द्र सिंह यादव
2. प्रमेन्द्र सिंह आत्मज विजेन्द्र सिंह यादव
3. हरेन्द्र सिंह आत्मज विजेन्द्र सिंह यादव
4. हिमेन्द्र सिंह आत्मज विजेन्द्र सिंह यादव
5. चन्द्रकान्ता पुत्री विजेन्द्र सिंह यादव
6. सुनीता देवी पुत्री विजेन्द्र सिंह यादव
7. हेमलता पुत्री विजेन्द्र सिंह यादव

निवासी हाल कीचला तहसील बुलन्द शहर, उत्तर प्रदेश

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री मुकेश खारोल, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –19/08/2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी विजेन्द्र सिह यादव आत्मज मनफूल जाति अहीर साकिन किचला तहसील बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 2075/2300 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 2076 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 2077 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 2080 रकबा 0.43 हे0 कुल किता–4 रकबा 1.08 हे0 भूमि आवंटन हुई थी । आवंटी को भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की है एवं संवत 2070–73 में भूमि पडत रही है । खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 संलग्न है । आवंटी आज दिनांक तक भूमि पर कब्जा करने में विफल रहा है एवं मौके पर अन्य श्री जरदार खां निवासी कैथून का कब्जा है । राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन संबंधी निर्धारित शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः आवंटन निरस्त योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की मृत्यु होने पर अप्रार्थी के कायम मुकामान की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश खारोल का वकालतनामा पेश हुआ तथा कायम मुकामान रिकोर्ड पर लिये गये । वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी विजेन्द्र सिह यादव आत्मज मनफूल जाति अहीर साकिन किचला तहसील बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 2075/2300 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 2076 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 2077 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 2080 रकबा 0.43 हे0 कुल किता–4 रकबा 1.08 हे0 भूमि आवंटन हुई थी । आवंटी को भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की है एवं संवत 2070–73 में भूमि पडत रही है । आवंटी आज दिनांक तक भूमि पर कब्जा करने में विफल रहा है एवं मौके पर अन्य श्री जरदार खां निवासी कैथून का कब्जा है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी विन्द्र सिंह यादव की मृत्यु हो चुकी है, मृतक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही पेश की है जो खारिज होने योग्य है । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर असद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थीगण के पिता को विवादित भूमि सही रूप से नियमानुसार आवंटित की गई थी जिसमें कोई त्रुटि नहीं है जो गैर खातेदारी में दर्ज की गयी थी जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2073–76 में हो रहा है । पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है अप्रार्थीगण के पिता विजेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक बहैसियत गैर खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज काश्त रहे । अप्रार्थीगण के पिता ने आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है । अप्रार्थीगण के पिता ने आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की है । अप्रार्थीगण के पिता विजेन्द्र सिंह यादव को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 2075/2300 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 2076 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 2077 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 2080 रकबा 0.43 हे0 कुल किता–4 रकबा 1.08 हे0 भूमि सही रूप से नियमानुसार आवंटित की गई थी जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अप्रार्थी विजेन्द्र सिंह वक्त आवंटन से ही उपरोक्त भूमि पर बहैसियत आवंटी एवं गैर खातेदार निरन्तर काबिज रहा है । उपरोक्त आवंटित भूमि विजेन्द्र सिंह यादव की मृत्यु होने के बाद प्रतिपक्षीगण वारिसान के नाम दर्ज चली आ रही है जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2073–76 में अंकित है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण के पिता ने काफी रकम खर्च कर उपरोक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है । अप्रार्थीगण के पिता को उपरोक्त भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है । आवंटी विजेन्द्र सिंह यादव ने उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु सहायक कलेक्टर कोटा के यहां वाद संख्या 63/22 पेश किया हुआ है जो लम्बित है जिस पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें आगामी पेश दिनांक 1.9.2025 नियत है । ग्राम कैथून की पुराने खसरा नम्बर 1240 की 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आवंटन हुए पचास वर्ष का समय हो गया है, प्रार्थीगण पत्रावली संख्या368 नीलामी दिनांक 25.4.1968 में निर्णय दिनांक 6.7.89 में उक्त आराजी का सम्पूर्ण आरक्षित मूल्य की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा हो चुकी है । समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है । अतः आवंटित भूमि पर खातेदारी दिये जाने के आदेश पारित किये गये तथा जिला कलेक्टर उपनिवेशन कोटा द्वारा सनद जारी की गयी । इस कारण प्रस्तुत कार्यवाही अवधि बाधित पेश की गयी है जो खारिज होने योग्य है । विजेन्द्र सिंह यादव द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त है इस संबंध में खसरा गिरदावरी सन 2023 सन 2024 व काश्त का हवाला अंकित है तथा विजेन्द्र सिंह जी की मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण द्वारा काश्त की गयी है जिसका अंकन खसरा गिरदारवरी सन 2025

में अंकित है । इस कारण उक्त भूमि को प्रार्थीगण उत्तरदाता की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करें । वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

- 2023 (1)DNJRev. 631 केसर देवी बनाम कन्हैयालाल, राजस्व मण्डल अजमेर निर्णय दिनांक 4.4.2023 राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 व नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि का आवंटन के तीन वर्ष बाद खातेदारी का नामा0 खोलना तहसीलदार का कर्तव्य है, नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।
- **2024 (2)RRT 1371** स्टेट ऑफ राज0 बनाम रतन सिंह में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.3.2024 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन के बाद खातेदारी प्रदान करने के पश्चात आवंटन निरस्त करना अवैध है ।
- **2023 (2) DNJRev. 1023** स्टेट ऑफ राज0 बनाम कालू में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.08.2023 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटिन भूमि में खसरा गिरदावरी में फसल होना अंकित है तो आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।
- **2025 (1) RRT 128** स्टेट ऑफ राज0 बनाम कालू में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.08.2024 में निर्णय पारित किया गया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता एवं आवंटन के लगभग 48 साल बाद आवंटन को चुनोती नहीं दी जा सकती है ।
- प्रहलाद बनाम राजस्व मण्डल 1983 आर आर डी–416 उच्च न्यायालय – खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राइट्स के लिए सुसंगत दस्तावेज है ।
- सरकार बनाम कालू 2023 (2) डीएनजे रेवे 1082 खसरा गिरदावरी में फसल अंकित है तो आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।
- पूजा बनाम मोहनलाल 2025(1) डीएनजे 250 प्रार्थी आवंटन के समय से कब्जे काश्त में है तो आवंटन बहाल रखा गया ।
- देवकिशन बनाम भजन 2024 (2) डीएनजे रेवे 1166 किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कब्जा हो तो भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।
- सूरजन बनाम हनुमान 2024(1) डीएनजे रेवे 186 में यह निर्णित किया गया है कि एक अतिक्रमी भी आवंटन निरस्त नहीं करा सकता है ।
- प्रहलाद बनाम बोर्ड ऑफ रेवे आर आर डी 1983 पेज 416 वर्तमान कब्जे के संबंध में यानी कि रिकार्ड ऑफ राईट्स तैयार करने में खसरा गिरदावरी सुसंगत दस्तावेज है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी विजेन्द्र सिह यादव आत्मज मनफूल जाति अहीर साकिन किचला तहसील बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 2075/2300 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 2076 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 2077 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 2080 रकबा 0.43 हे0 कुल किता–4 रकबा 1.08 हे0 भूमि आवंटन हुई थी । आवंटी को भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की है एवं संवत 2070–73 में भूमि पडत रही है । आवंटी आज दिनांक तक भूमि पर कब्जा करने में विफल रहा है एवं मौके पर अन्य श्री जरदार खां निवासी कैथून का कब्जा होना बताते हुए राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन संबंधी निर्धारित शर्तो का उल्लंघन बताते हुए आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त करने हेतु निवेदन किया है ।

6. इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि ग्राम कैथून के पुराने खसरा नम्बर 1240 की 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन पचास वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण के पिता विजेन्द्र सिंह यादव को हुआ था, उक्त आवंअन कीमतन निलामी पर पत्रावली संख्या 368 दिनांक 24.4.68 में निर्णय दिनांक 6.7.89 को आरक्षित मूल्य पर होना बताया है तथा सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बाद आवंटित भूमि पर खातेदारी दिये जाने हेतु आदेश पारित किये गये तथा जिला कलेक्टर उपनिवेशन कोटा द्वारा सनद जारी की गयी । अपने इन कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थी ने उक्त आवंटन की उपनिवेशन की पत्रावली की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त खसरा नम्बर 1240 की 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन होना जाहिर हो रहा है, उक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2075/2300 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 2076 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 2077 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 2080 रकबा 0.43 हे0 कुल किता–4 रकबा 1.08 हे0 वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है, कब्जा कश्त के सम्बन्ध में अप्रार्थी ने खसरा गिरदावरी सन 2023, 2024 की प्रस्तुत की है जिसमें क्रमश सोयाबीन सोयाबीन, धान एवं गेहूं की फसल दर्ज है एवं 2025 प्रस्तुत की है जिसमें विजेन्द्र सिंह यादव के कायम मुकामान के नाम दर्ज है किन्तु प्रार्थी तहसीलदार ने कब्जा अन्य व्यक्ति जदार खां निवासी कैथून का होना बताया है । वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद 88,188 आर0टी0एक्ट की प्रस्तुत की है जो वर्तमान में विचाराधीन होना बताया है तथा जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 1.9.2025 नियत होना बताया है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में निम्न तथ्य सामने आये है –

- प्रथम तो उक्त आवंटित भूमि चम्बल कमाण्ड क्षैत्र की है, फिर भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निर्धारित नियम 22(क) उपनिवेशन (चम्बल कमाण्ड)के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करके नियम 1970 के नियम 14(4) में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।
- उक्त आवंटित भूमि कीमतन आवंटन होना जाहिर आया है जिसकी सम्पूर्ण राशि जमा होकर जिला कलक्टर उपनिवेशन से सनद भी जारी करना जाहिर आया है फिर भी उक्त वर्णित भूमि गैर खातेदारी में ही दर्ज है । बिना जांच के ही सही तथ्य जानकारी किये बिना ही प्रस्ताव प्रस्तुत किये है ।
- उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार के लिए अप्रार्थी आवंटी द्वारा नियमित वाद न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में विचाराधीन है । नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा ।
- अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2023, 2024, अनुसार उक्त वर्णित भूमि पर काश्त होना दर्ज है, तथा उक्त आवंटन पत्रावली संख्या 368 दिनांक 24.4.68 में निर्णय दिनांक 6.7.89 को आरक्षित मूल्य पर होना अंकित है जबकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्ताव में आवंटित भूमि के साबिक खसरा नम्बर एवं आवंटन दिनांक का कोई विवरण अंकित नहीं है । प्रस्ताव आधा अधूरा है । जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2023 (1)DNJRev. 631, 2024 (2)RRT 1371, 2023 (2) DNJRev. 1023, 2025 (1) RRT 128 अनुसार अप्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार लाडपुरा को पुनः लोटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 7 में किये गये विश्लेषण अनुसार जांच करते हुए विधि के प्रावधान अनुसार उचित कार्यवाही करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा